<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर</u>

<u>मुद्रा वाद–01 / 2020</u>

विजय कुमार..............................वादी

बनाम

मृत्यंजय कुमार..प्रतिवादी

<u>08.02.25</u> अभिलेख आज वादी की ओर से साक्ष्य रिकॉल हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–30.09.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान वाद की कार्रवाई अनुपस्थित प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय अग्रसारित है।

वादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद में वादी द्वारा बहुत सारा कागजात दाखिल किया गया है जिसे वाद के निराकण हेतु प्रदर्श अंकित होना आवश्यक है। वादी द्वारा दाखिल कागजात वगैर प्रदर्श अंकित हुए वादी का साक्ष्य दिनांक–06.06.2024 को बन्द हो गया जिसे वापस लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद में पारित आदेश दिनांक–06.06.2024 को वापस लिया जाता है तो वादी वाद में हर तिथि को उचित पैरवी करने को तत्पर रहेंगा। अतः निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–06.06.2024 को वापस लेते हुए वादी को साक्ष्य देने हेतु अनुमति देने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद न्यायालय आदेश दिनांक–06.06.2024के द्वारा वादी साक्ष्य बन्द करने के पश्चात् अभिलेख एकपक्षीय बहस हेतु नियत किया गया है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है तथा चूँकि अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी ने अपने आवेदन में मूल कागजात को प्रदर्श करने हेतु साक्ष्य रिकॉल करने का निवेदन किया है इसलिए वादी को साक्ष्य प्रदान कर दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने का एक अवसर दिया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है तथा चूँकि वर्तमान एकपक्षीय रूप से अग्रसारित है और अभिलेख एकपक्षीय बहस हेतु नियत है और पुनः वादी को साक्ष्य के लिए अवसर दिया जाना विलंब कारित करेगा। तद्नुसार वादी का आवेदन मो0 300/– रुपये खर्च को नजारत, शाहपुर पटोरी में जमा किए जाने पर इस शर्त के साथ स्वीकृत करते हुए आदेश दिनांक–06.06.2024 को वापस लिया जाता है कि वादी मात्र केवल दो तिथियों में सभी कागजात को प्रदर्श अंकित कराते हुए अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

वाद दिनांक– 19-04-2025 वास्ते पुनः वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।